



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या:- (0755) 2551650, फ़ैक्स - (0755) 2552061



क्रमांक / 1142 / प.स. / 2019

भोपाल दिनांक 02 फरवरी 2019

// आदेश //

मण्डल द्वारा संचालित सत्र 2018-19 की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने के संबंध में कार्यालयीन निर्देश क्रमांक 785 दिनांक 12.06.2018 एवं आदेश क्रमांक 976-977/परीक्षा समन्वय/2019, भोपाल दिनांक 21.12.2018 जारी किये गये थे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी कतिपय संस्था एवं छात्रों द्वारा त्रुटि सुधार हेतु आवेदन किये जा रहे हैं।

संशोधन प्रकरणों की संख्या न्यूनतम हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है, कि कियोस्क पर जहाँ से परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये हैं, उसी कियोस्क से त्रुटियों के सुधार की अनुमति दिनांक 20.02.2019 तक निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 छात्र, पिता एवं माता के नाम में स्पेलिंग त्रुटिया में सुधार।
- 2 किसी भी नाम के प्रथम कैरेक्टर के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- 3 हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2019 के परीक्षा आवेदन गत वर्ष कक्षा 9वीं के नामांकन डाटा पर आधारित हैं। कक्षा 9वीं में A17 सीरिज के नामांकन डाटा में स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार किये जा सकेंगे।
- 4 कक्षा 12वीं में केवल फोटो एवं विषय संशोधन की अनुमति रहेगी।
- 5 परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय जिन छात्रों ने त्रुटिवश पूर्ण परीक्षा शुल्क की छूट त्रुटिवश गलत (जैसे वर्ग Category - एस.सी./एस.टी., अंध, मूकबधिर) को चयन किया है, ऐसे परीक्षार्थी भी त्रुटि सुधार करते हुए शुल्क के अंतर की राशि कियोस्क पर भुगतान कर सकेंगे।
- 6 वर्ष 2018 के कक्षा 9वीं के नामांकन के डाटा में स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार, जन्मतिथि संशोधन, फोटो संशोधन किये जा सकेंगे।

उपरोक्त त्रुटि सुधार उपरांत संस्था प्राचार्य इस आशय का प्रमाणीकरण करेंगे कि कोई त्रुटि शेष नहीं है।

आम
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,

भोपाल

दिनांक - 02/02 /2019

पृष्ठांकन क्रमांक / 1143 / परीक्षा समन्वय/2019

प्रतिलिपि :-

1. नि.स.-अध्यक्ष/सचिव/अति.सचिव/परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त संचा. (वित्त)
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, समस्त जिला समन्वयक संस्थायें मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य समस्त मान्यता प्राप्त संस्था, मध्यप्रदेश।
7. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी/समस्त सहायक सचिव/कक्षाधिकारी, परीक्षा संभाग।
8. पंजीयक परीक्षा/विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./लोक सूचना मा.शि.मण्डल, म.प्र., भोपाल।
9. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. की ओर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सूचनार्थ।
10. संचालक, एम पी ऑनलाईन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

आम
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,

भोपाल